राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सोनी (RTS)तहसीलदार

मि.न. 83 / 2016 निर्णय दिनांक 07.02.2017

अन्तर्गत :– धारा 135 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 ।

–:निर्णय:–

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है– श्री रतनलाल पिता किशना माली नि. भूपालसागर ने उपस्थित हो कर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि श्री किशना पिता भूरा माली नि. भूपालसागर के नाम ग्राम शम्भूपुरा में कृषि भूमि दर्ज है। किशना जी की मृत्यु हो चुकी है। उनके सन्तान व पत्नी नही है। मेरे को बचपन से ही उन्होने गोद रख लिया था तथा जबसे मुझे समज आई सभी लोग मुझे किशनलाल का पुत्र ही कहते है। मेंरे राशनकार्ड,भामाशाह कार्ड,आधारकार्ड सभी में पिता का नाम किशनलाल ही दर्ज़ है। ग्राम शंभूपुरा में किशनाजी के नाम दर्ज जमीन का नामान्तरण मेरें नाम खुलवाने की कृपा करें।

प्रार्थनापत्र की पटवारी हल्का उसरोल से जांच कराई गई।पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बताया कि किशना पिता भूरा माली दिनांक 25.06. 2012 को कुआरा ही ला ओलाद फोत हुआ है। मृतक किशना के तीन भाई नानू, प्यारा व गोदु है। किशनलाल ने अपनी मृत्यु के पहले ही प्यारा के पुत्र रतनलाल को गोद रखा था। मृत्युपरान्त सभी क्रियाकर्म भी रतनलाल द्वारा ही किए गए किशनलाल की पगडी भी रतनलाल को ही बंधवाई गई। मृतक किशनलाल के नाम पर ग्राम शंभूपुरा में खाता सख्या 19,37,38 में भूमि दर्ज है जो मोरूसी है। जिस पर वर्तमान में रतनलाल काबिज हो कर काश्त कर रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जा कर मृतक के भाईयों नानू,प्यारा, गोदु व प्रार्थी को सूचना पत्र से तलब किया गया। भाई प्यारा पिता भूरा ने उपस्थित हो बयान में बयान दर्ज कराये कि किशना मेरा बडा भाई था मेरे पिता के हम चार भाई 1.किशना 2. नानू 3. प्यारा 4. गोदु है बहनें नही है। किशना कुआराही फोत हुआ है। किशना ने अपने जीवन काल में ही मेरे पुत्र रतनलाल को गोद रख लिया व पगडी बंधवाई। बीमार होने पर सेवा चाकरी रतनलाल द्वारा ही की गई व मृत्यु होने पर समस्त क्रियाकर्म रतनलाल द्वारा ही किया गया। मेरे पुत्र को मेरी व मेरी पत्नी की सहमति से गोद रखा है। किशना के नाम ग्राम शंभूपुरा व भोपालसागर में जमीन है जिसे गोद पुत्र रतलाल के नाम करने पर मेरे को कोई आपत्ति नही है। गोदु व नानू ने उपस्थित हो कर बयान दर्ज कराये कि किशना मेंरा बडा भाई था उसकी लगभग 10–12 वर्षो पहलें मृत्यु हो गई है। किशना मेंरे भाई प्यारा के पास रहता था उसकी मृत्यु होने पर कियाकर्म भी प्यारा ने ही किया व पगडी रतनलाल को बंधवाई । जमीन प्यारा रखे या उसका पुत्र रतनलाल रखे हमारे को कोई आपत्ति नही है। किशना की जमीन हमारें नही चाहियें व भविष्य में कोई उजर नही करेंगें। रतनलाल द्वारा सोहनलाल पिता गंगाराम माली के गवाह स्वरूप बयान दर्ज करयें जिसमें भी रतनलाल को गोद रखना व जमीन को रतनलाल के नाम किया जाना सही बताया।

लगातार.....

27

प्रार्थी रतनलाल ने भी अपनें बयानों में बताया कि किशनाजी ने जब से मेरे को गोद रखा तब से में उनके पास ही रहा व उनकी सेवा की। किशना जी अक्सर बीमार रहते थे उनकी सेवा चाकरी व इलाज मेरे द्वारा ही कराया गया। मृत्यु होने पर समस्त क्रियाकर्म मेरे द्वारा ही सम्पन्न कियें गयें। समाज रीति से पगडी मेरे को ही बंधवाई। किशना जी के नाम दर्ज भूमि को मेरे नाम की जावे। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य स्वरूप किशना की मृत्यु की शोक पत्रिका व समस्त राज माली समाज भूपालसागर की रसीद प्रस्तुत की जिसमें किशना को रतनलाल का पिता बताया हुआ है।

मेनें पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज,बयान आदि का गहनता से अध्ययन व मनन किया जिसमे किशना पिता भूरा माली नि भूपालसागर की लाओलाद मृत्यु होने व रतनलाल को गोद रखने की पुष्टि होती है। किशना के भाई नानू,प्यारा व गोदु ने भी अपने बयानों में रतनलाल को गोद रखना व किशना की पगड़ी रतनलाल को बंधवाना बताया है। तथा किशना के नाम दर्ज भूमिं कों रतनलाल के नाम पर दर्ज करान में सहमति जताई है। व भविष्य में कोई उजर नही करना बताया है। किशना की भूमि पर वर्तमान में रतनलाल ही काबित हो कर काश्त कर रहा है। सरपंच ग्राम पचांयत भूपालसागर ने भी अपने प्रमाणपत्र दिनांक 25.11.16 में रतनलाल को ही किशना का एकमात्र वारिस माना है। समस्त राज माली समाज भूपालसागर की रसीद व शोक पत्रिका में भी किशना को ही रतनलाल का पिता बता रखा है। इस प्रकार रतनलाल ने एक पुत्र के सारे कर्तव्यों का पालन किया है। अतः स्व. श्री किशना पिता भूरा माली नि. भूपलसागर के नाम ग्राम शंभूपुरा तह. भूपालसागर में दर्ज कृषि भूमि को विरासत से गोदपुत्र रतनलाल मुतबन्ना किशना माली नि. भूपालसागर के नाम दर्ज करने का निर्णय पारित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने हेतु पटवार हल्का को लिखा जावे। पत्रावली फेसल शुमार हो कर नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़

तहसीलदार भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़